



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2021

माघ 15, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

संख्या 1/2021-22-अस्सी-2-2021-100(11)-2020  
लखनऊ, 4 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-53

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-घ की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या 4/2020-204-अस्सी-2-2020-100(11)-2020, दिनांक 15 जून, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "मूल्यानुसार एक प्रतिशत की दर से" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
डा० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2021/22/LXXX-2-2021-100(11)-2020, dated February 4, 2021 :

No. 1/2021/22/LXXX-2-2021-100(11)-2020

*Dated Lucknow, February 4, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 7D of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Notification No. 04/2020/204/LXXX-2-2020-100(11)-2020, dated June 15, 2020:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in place of the words "**at the rate of two percent *ad valorem***" the words "**at the rate of one percent *ad valorem***" will be *substituted*.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

*Apar Mukhya Sachiv.*